

(6) 1)

(गृह-12/जेल) विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

प्राप्त संख्या 2927

दिनांक 16/11/22

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary



साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

कार्तिक 23, सोमवार, शाके 1944-नवम्बर 14, 2022
Kartika 23, Monday, Saka 1944-November 14, 2022

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (गृह-12) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 11, 2022

संख्या प.9(06)गृह-12/कारा/2022 :-यत् यह राज्य सरकार कारागार अधिनियम 1894 (केन्द्रीय अधिनियम 9, सन् 1894) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में जिला झालावाड़ की तहसील अकलेरा में नवनिर्मित उप कारागृह भवन जो तहसील अकलेरा के ग्राम-गुजरी के खसरा न.- 209 की 10.00 बीघा एवं खसरा न.-507/209 की 0.12 बीघा, कुल 10.12 बीघा भूमि (लगभग 15878 वर्ग मीटर) जिसके उत्तर दिशा में खाली जमीन, दक्षिण दिशा में बासोदिया ग्राम-सड़क, पूर्व दिशा में विद्युत विभाग का जी.एस.एस. एवं स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल अकलेरा, पश्चिम दिशा में खाली भूमि है, पर मेनवॉल के अन्दर 5094.37 वर्गमीटर भूमि पर नवीन उप कारागृह भवन निर्मित है। इस क्षेत्र को एतद् द्वारा स्थाई जेल घोषित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

डॉ. सौम्या झा,
संयुक्त शासन सचिव।

2499

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।